

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 118 (VI) Grass Land and Wetland Development (दिनांक 10.02.2023) की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 21(7)2023-24/विकास/प्रमुवस/ 5976 दिनांक 20.07.2023 द्वारा चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, 01-परिभ्रांषित वनों का पुनरापण, 63-वृक्षारोपण में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट आवंटन किया गया था। जिसमें मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के पत्रांक 4054 दिनांक 04.08.2023 द्वारा प्राप्त समर्पण को स्वीकार करते हुए एवं मुख्य वन संरक्षक,कोटा के पत्रांक 4223 दिनांक 04.08.2023 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट			संशोधित आवंटित बजट		
		क्षेत्रफल (है० में)	मॉडल दर प्रति है० (रूपये में)	आवंटित राशि (रु. लाखों में)	क्षेत्रफल (है० में)	मॉडल दर प्रति है० (रूपये में)	आवंटित राशि (रु. लाखों में)
मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	400	40000	160.00	200	40000	80.00
मुख्य वन संरक्षक, कोटा	उप वन संरक्षक, बांरा	0	0	0	100	40000	40.00
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर	0	0	0	100	40000	40.00

- कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-
- उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
  - उक्त कार्य बजट घोषणा के अनुरूप Model Cost Norms Grassland Development (Desert Area and Non - Desert Area) के अनुसार विकास कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
  - कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
  - बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
  - वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के.उपाध्याय)  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)  
 राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 08/08/23

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/ 6742-51

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर/ कोटा/ वन्यजीव, जयपुर। वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
- संबंधित उप वन संरक्षक, भरतपुर/ बांरा/ वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)  
 राजस्थान, जयपुर